न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या–34 / 2023
निर्णय दिनांक– 22/01/25

विनोदी देवी पत्नी कमल किशोर जाति ब्राहमण नि. ग्राम सालासर

.....................वादीनी

बनाम

1 अनिता गोयल पत्नी रोशनलाल जाति महाजन नि. जिन्द हरियाणा
2 भंवरीदेवी पत्नी भागीरथ मल जाति महाजन नि. सालासर
3. बंशीधर पुत्र उदाराम जाति कुम्हार प्रजापति नि. सालासर
4. राधेश्याम पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार प्रजापति नि. सालासर
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ

.............प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा हेतु

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश गुलेरिया एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र नेहरा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से
4 श्री किशनलाल शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की ओर से
5. पेरोकार राज. तहसीलदार सुजानगढ़ उपस्थित

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू, सत्यमेव जयते)

–: निर्णय :–

आज इस प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने के कारण उक्त वाद का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

वादीनी ने उक्त वाद विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है जिसमें वादीनी ने अपने राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि का विभाजन चाहा है एवं चिर निषेधाज्ञा की मांग की गई है। जिसमें प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा तलब करने पर प्रतिवादी संख्या 1 अनिता गोयल ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वादगत भूमि में अपना हिस्सा अलग करवाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 भंवरी देवी ने वादीनी के वाद का जबाब दावा एवं क्रोस सुट विभाजन का प्रस्तुत कर अपना हिस्सा अलग करवाने की मांग की है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर व प्रतिवादी संख्या 4 राधेश्याम ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक करवाया है एवं साथ ही अपना इकबाल जवाब दावा भी प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण में वकील वादीनी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने आज राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद का निर्णय करवाने का निवेदन किया है राजीनामा को तस्दीक किया गया मुताबिक राजीनामा वादीनी नजरी नक्शा में दर्शित नीले रंग से कुल हिस्सा 0.0371 हैक्टेयर भूमि जो पूर्वी तरफ स्थित है वादीनी के हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस भुमि के पूर्वी तरफ स्वयं वादीनी की भूमि है जिसमें से होकर वादीनी का आवागमन रहेगा। प्रतिवादीनी संख्या 1 अनिता गोयल का नजरी नक्शा में दर्शित गुलाबी रंग से कुल हिस्सा 0.0505 हैक्टेयर भूमि जो उतरी पूर्वी कोने पर स्थित है प्रतिवादीनी संख्या 1 अनिता गोयल के हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादीनी अनिता गोयल का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस भुमि के उतरी तरफ हाईवे सड़क है जिसमें से होकर प्रतिवादीनी अनिता गोयल का आवागमन रहेगा। प्रतिवादीनी संख्या 2 भंवरीदेवी का नजरी नक्शा में दर्शित हरे रंग से कुल हिस्सा 0.0661 हैक्टेयर भूमि जो दक्षिण तरफ स्थित है प्रतिवादीनी संख्या 2 भंवरीदेवी के हिस्से पांति में आई है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

लगातार......2 पर

इसी मुताबिक प्रतिवादीनी भंवरीदेवी का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस भुमि के पश्चिमी तरफ आम रास्ता है जिसमें से होकर प्रतिवादीनी भंवरीदेवी का आवागमन रहेगा। प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर व 4 राधेश्याम का नजरी नक्शा में दर्शित पीले रंग से कुल हिस्सा 1.4901 हैक्टेयर भूमि हिस्से पांति में आई है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर के हिस्सा में कुल 1.4715 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 राधेश्याम के हिस्सा में कुल 0.0186 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रुप से हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर व प्रतिवादी संख्या 4 राधेश्याम का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है, राजीनामा के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिस पर भी पक्षकारान के हस्ताक्षर है जो राजीनामा का भाग है। राजीनामा का अवलोकन किया। बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया गया।

राजीनामा व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीनी व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमत है जिस कारण प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य की आवश्यकता नही है जिस कारण मुताबिक राजीनामा वाद अन्तिम रुप से डिक्री की वादीनी ने मांग की है एवं यही मांग प्रतिवादीगण ने की है।

वादीनी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पर सहमति अंकित की है व राजीनामा के अनुसार अपना हिस्सा अलग अलग करवाना चाहा है। दोराने बहस वादीनी ने राजीनामा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादीनी वादगत भूमि की खातेदार काश्तकार है एवं वह अपने हिस्से मात्र की भूमि का विभाजन करवाना चाहती है। न्याय में विलम्ब होने से वादीनी अपने खेत की उपजाउपन से वंचित हो जावेगी। इसके समर्थन में वकील प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा के आधार पर अपना हिस्सा अलग अलग कायम किये जाने में सहमत है।

पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह भली भांती प्रतित होता है कि वादीनी स्वयं व प्रतिवादीगण संख्या एक ता चार खातेदार काश्तकार है। वादीनी अपनी भूमि का एवं प्रतिवादीगण अपनी भूमि का विभाजन मुताबिक राजीनामा अन्तिम रुप से डिक्री करवाने के अधिकारी है। जो अपने अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकते है। न्यायालय के विनम्र मत में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य लेने की हस्तगत प्रकरण में आवश्यकता नही है ऐसी स्थिति में वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचनानुसार वादीनी का वाद मुताबिक राजीनामा अन्तिम रुप से डिक्री किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

अतः वादीनी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वाके रोही ग्राम सालासर भू. अ. नि. क्षेत्र सालासर के वर्तमान खेत ख. न. 2121/627 कुल तादादी 1.6438 हेक्टेयर का विभाजन मुताबिक राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार वादीनी नजरी नक्शा में दर्शित नीले रंग से कुल हिस्सा 0.0371 हैक्टेयर भूमि जो पूर्वी तरफ स्थित है वादीनी के हिस्से पांति में आई है।इसी मुताबिक वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग इस भुमि के पूर्वी तरफ स्वयं वादीनी की भूमि है जिसमें से होकर वादीनी का आवागमन रहेगा। प्रतिवादीनी संख्या 1 अनिता गोयल का नजरी नक्शा में दर्शित गुलाबी रंग से कुल हिस्सा 0.0505 हैक्टेयर भूमि जो उतरी पूर्वी कोने पर स्थित है प्रतिवादीनी संख्या 1 अनिता गोयल के हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादीनी अनिता गोयल का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस भुमि के उतरी तरफ हाईवे सड़क है जिसमें से होकर प्रतिवादीनी अनिता गोयल का आवागमन रहेगा। प्रतिवादीनी संख्या 2 भंवरीदेवी का नजरी नक्शा में दर्शित हरे रंग से कुल हिस्सा 0.0661 हैक्टेयर भूमि जो दक्षिण तरफ स्थित है प्रतिवादीनी संख्या 2 भंवरीदेवी के हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादीनी भंवरीदेवी का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस भुमि के पश्चिमी तरफ आम रास्ता है जिसमें से होकर प्रतिवादीनी भंवरीदेवी का आवागमन रहेगा। प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर व 4 राधेश्याम का नजरी नक्शा में दर्शित पीले रंग से कुल हिस्सा 1.4901 हैक्टेयर भूमि हिस्से पांति में आई है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर के हिस्सा में कुल 1.4715 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 राधेश्याम के हिस्सा में कुल 0.0186 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रुप से हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर व प्रतिवादी संख्या 4 राधेश्याम का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। जिसके अनुसार वादीनी व प्रतिवादीगण का हिस्सा

लगातार......3 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अलग से राजस्व रेकार्ड में कायम कर अलग से खाते में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार, सुजानगढ को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
सुजानगढ

डिकरी व मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़

बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

विनोदी देवी बनाम अनिता गोयल आदि

दावा बाबत् विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा हेतु

मुकदमा न0 34 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....

.........हाजरी श्री कैलाश गुलेरिया एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीनी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वाके रोही ग्राम सालासर भू. अ. नि. क्षेत्र सालासर के वर्तमान खेत ख. न. 2121/627 कुल तादादी 1.6438 हेक्टेयर का विभाजन मुताबिक राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार वादीनी नजरी नक्शा में दर्शित नीले रंग से कुल हिस्सा 0.0371 हैक्टेयर भूमि जो पूर्वी तरफ स्थित है वादीनी के हिस्से पांति में आई है।इसी मुताबिक वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग इस भूमि के पूर्वी तरफ स्वयं वादीनी की भूमि है जिसमें से होकर वादीनी का आवागमन रहेगा। प्रतिवादीनी संख्या 1 अनिता गोयल का नजरी नक्शा में दर्शित गुलाबी रंग से कुल हिस्सा 0.0505 हैक्टेयर भूमि जो उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित है प्रतिवादीनी संख्या 1 अनिता गोयल के हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादीनी अनिता गोयल का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस भूमि के उत्तरी तरफ हाईवे सड़क है जिसमें से होकर प्रतिवादीनी अनिता गोयल का आवागमन रहेगा। प्रतिवादीनी संख्या 2 भंवरीदेवी का नजरी नक्शा में दर्शित हरे रंग से कुल हिस्सा 0.0661 हैक्टेयर भूमि जो दक्षिण तरफ स्थित है प्रतिवादीनी संख्या 2 भंवरीदेवी के हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादीनी भंवरीदेवी का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस भूमि के पश्चिमी तरफ आम रास्ता है जिसमें से होकर प्रतिवादीनी भंवरीदेवी का आवागमन रहेगा। प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर व 4 राधेश्याम का नजरी नक्शा में दर्शित पीले रंग से कुल हिस्सा 1.4901 हैक्टेयर भूमि हिस्से पांति में आई है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर के हिस्सा में कुल 1.4715 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 राधेश्याम के हिस्सा में कुल 0.0186 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रुप से हिस्से पांति में आई है। इसी मुताबिक प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर व प्रतिवादी संख्या 4 राधेश्याम का मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। जिसके अनुसार वादीनी व प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग से राजस्व रेकार्ड में कायम कर अलग से खाते में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार, सुजानगढ को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

चीज.......................... मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख22 माह 01 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

दस्तखत ....उप खण्ड अधिकारी
ओहदा ....सुजानगढ

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये